झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–12/08/2016

विज्ञापन संख्या–08/2016

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड, रांची के अन्तर्गत **जिला खनन पदाधिकारी (District Mining Officer)** के पद पर सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप **ONLINE** आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

1. **पद का नाम** :– **जिला खनन पदाधिकारी (District Mining Officer)**

2. **रिक्तियों का विवरण** :–

अनारक्षित	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	कुल
03	01	01	05

नोटः– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

3. **वेतनमान** :– PB-III, 15,600–39,100 + ग्रेड पे–6,600

4. **परीक्ष्यमान अवधि** :– **02 (दो) वर्ष**

5. **शैक्षणिक योग्यता** :–

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनन अभियंत्रण में डिग्री अथवा ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेकनिकल एजुकेशन द्वारा अनुमोदित समकक्ष डिग्री।

6. **अनुभव** :–

खनन अभियंत्रण में उपाधि (डिग्री) के उपरांत केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिष्ठान/राष्ट्रीय/राजकीय लोक उपक्रम में न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

7. **उम्र सीमा (Age Limit)** :–

(क) परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि **01.08.2015** होगी। इनकी आयु न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–609, दिनांक–25.01.2016 के अनुसार निम्नवत् होनी चाहिए :–

क्र0	श्रेणी	उम्र	निशक्त आवेदकों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2	महिला (अनारक्षित)	38 वर्ष	43 वर्ष
3	अनु0 जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

(ख) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–360, दिनांक–21.01.2003 के अनुसार, राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट देय है।

8. **आरक्षण का लाभ :–**

(क) **ऑनलाइन** (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी/आवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) **(i)** झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्धारित विहित प्रपत्र–I में निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण **ऑनलाइन** (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायगें। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुसार साक्षात्कार के समय उक्त सम्बंधित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. **नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया :–**

आयोग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जायेगा तथा एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके पश्चात् अन्तर्वीक्षा होगी। परीक्षा के पाठ्यक्रम खनन अभियंत्रण में उपाधि (डिग्री) का पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण शामिल रहेगा।

10. **परीक्षा का स्वरूप :–**

(A) एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके पश्चात् अन्तर्वीक्षा होगी।

(B) लिखित परीक्षा अर्हकारी डिग्री (स्नातक) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(C) परीक्षा का स्वरूप एवं न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् हैः–

(i) लिखित :–

पत्र	विषय	परीक्षा का समय	पूर्णांक	न्यूनतम अर्हकारी अंक
1	खनन अभियंत्रण में उपाधि (डिग्री) स्तर	2 घंटे	100	सामान्य – 40 अनु0जा0/अनु0ज0जा0/महिला – 32
2	सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण	2 घंटे	50+50 =100	सामान्य – 40 अनु0जा0/अनु0ज0जा0/महिला – 32

(ii) मौखिक :– अन्तर्वीक्षा या मौखिक जाँच 50 अंक की होगी जिसमें निम्नवत् न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

(D) आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया आयोग के Rules of Procedure 2002 के अधीन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. **परीक्षा शुल्कः–**

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रू0 **600 (छह सौ) + बैंक चार्ज** मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रू0 **150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्धारित विहित प्रपत्र–I में निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण **ऑनलाइन** (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

(iii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

12. **आवेदन–प्रपत्र भरने की प्रकिया एवं अन्य अनुदेश :–**

(क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ख) प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. 0651–2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(घ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ङ.) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(च) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(छ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।

(ज) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे।

(झ) अभ्यर्थी आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

(i) शैक्षणिक अर्हत्ता का प्रमाण (खनन अभियंत्रण में डिग्री या समकक्ष)

(ii) जिस संस्थान में उसने अंतिम अध्ययन किया है उसके प्रधान से प्राप्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र।

(iii) किसी निबंधित चिकित्सक से प्राप्त स्वस्थ तथा आरोग्य (फिटनेस) का प्रारंभिक प्रमाण पत्र।

(iv) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र)

(v) अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी/आवास प्रमाण पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

(vi) सक्षम पदाधिकारी से निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र

नोटः– मूल प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्वीक्षा या मौखिक जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ञ) ऐसे दो व्यक्तियों के नाम आवेदन पत्र में अंकित किये जाने चाहिए जो अभ्यर्थी को निजी जीवन में जानते हों और उसके संबंधी न हों ताकि उन्हें निर्देश किया जा सके।

(ट) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ठ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ड) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(ढ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. **(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) <u>**कदाचार के लिए कार्यवाही**</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) <u>**पूर्व के कदाचार का प्रभावः–**</u>

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14 . अंतिम तिथि :–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक 20.07.2016 से 12.08.2016 रात 11:45 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) दिनांक–**12.08.2016** के बाद दिनांक–**17.08.2016** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।